

प्रेस नोट दिनांक 16.11.2020

1. दिनांक 15.11.20 को वादी श्री शिवजीत पुत्र जंग बहादुर नि० फतेहपुर सरैया थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विकास पुत्र सुरेन्द्र नि० फतेहपुर सरैया थाना कैण्ट अयोध्या आदि 04 नफर कुर्सी रखने की बात को लेकर अभिरुप द्वारा वादी के भाईयो को गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं० 539 / 20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 15.11.20 को वादी श्री रमेश निषाद पुत्र जगदम्बा निषाद नि० गुप्तारघाट थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 32 सीबी 8586 केटा का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भाई तथा खड़ी विक्रम में टक्कर मार देना जिससे वादी के भाई का गम्भीर रूप से घायल हो जाना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं० 540 / 20 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 15.11.20 को वादी श्री संदीप वर्मा पुत्र शिवशंकर वर्मा नि० जीयनपुर थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 एजे 1480 मो०सा० का चालक रंजीत चौहान पुत्र रामसागर नि० कन्नीगंज बरहटा थाना को०अयोध्या अयोध्या वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी को टक्कर मार देना जिससे घायल हो जाना तथा वादी व उसके साथी को गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु0अ0सं० 802 / 20 धारा 279, 337, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 15.11.20 को वादी उ०नि० श्री वेद प्रकाश गुप्ता थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अरसद पुत्र इबरार नि० मुहम्मदपुर चिरा थाना रौनाही अयोध्या आदि 04 नफर सभी गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं० 532 / 20 धारा 13 जुआ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 15.11.20 को वादी उ०नि० श्री राम नरेश वर्मा थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मालिक राम पुत्र राम समझ नि० बड़ा मिझौड़ा थाना रौनाही अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं० 534 / 20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 15.11.20 को वादी श्री राम कुमार पुत्र विजय कुमार नि० जरई कला थाना हलियापुर जनपद सुलतानपुर द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या अज्ञात का चालक वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की मो०सा० में टक्कर मार देना जिससे वादी का गम्भीर रूप से घायल हो जाना तथा मो०सा० क्षतिग्रस्त हो जाना जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं० 319 / 20 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 15.11.20 को वादी उ०नि० श्री प्रभुदत्त पाण्डेय थाना को०रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वासुदेव निषाद पुत्र हीरा लाल नि० सोफियाना उत्तर कस्बा रुदौली थाना को०रुदौली अयोध्या आदि 09 नफर अभिरुप द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तो के साथ रूपये की हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलना, मौके से मालफड व जामा तलाशी के 3300 रु० व ताश के 52 पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु0अ0सं० 463 / 20 धारा 13 जुआ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 15.11.20 को वादी उ०नि० श्री राम खिलाड़ी थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम नैवल मौर्य पुत्र मंशाराम नि० महराजताल दुल्लापुर थाना मर्वई अयोध्या आदि 08 नफर सभी गिर० अभिरुप द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तो के साथ रूपये की हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलना, मौके से मालफड व जामा तलाशी के 3630 रु० व ताश के 52 पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं० 236 / 20 धारा 13 जुआ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 15.11.20 को वादी उ०नि० श्री जितेन्द्र यादव थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सहावुद्दीन पुत्र मो० आसीन नि० मिया का पुरवा थाना पटरंगा अयोध्या आदि 06 नफर सभी गिर० अभिरुप द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तो के साथ रूपये की हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलना, मौके से मालफड व जामा तलाशी के 2940 रु० व ताश के 52 पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं० 237 / 20 धारा 13 जुआ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।